

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

रकम/वर्षा बनाम कन्हैयालाल


मु. सं. 146/2021 (शा.पा.)

नम्बर 2 जारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

24-24

ऊज पत्रावली पेश हुई वकील
व शर्षी को रक-रक कर कई बार
आवष लागवाई जायी किन्तु कोई उपस्थित
नहीं आया। शर्षी का वादपत्र भी खोज
हो चुका है। ऊतः शर्षी का शर्षनापत्र
आम्बई निषेधाज्ञा शर्षी की ऊदम हाजरी
व ऊदम पैरवी में खोज किया जाता है
ऊपरिजण के विरुद्ध दिनांक 17.9.21 को
जारी आम्बई निषेधाज्ञा मिलने की जाती
है पत्रावली पेशम सुमार होकर मूल
वाद संपन्न रहे।

आवष सुनाया जाता


उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा